



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता(जल-विद्युत)
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
तृतीय तल, शक्ति भवन विस्तार
14-अशोक मार्ग, लखनऊ।**

दूरभाष : 0552-2288656

फैक्स : 0522-2288655

संख्या-1441-अनु०-प्रथम/अ०अभि०(जा०)/विनियमितिकरण/2017

दिनांक : दिसम्बर 06 ,2017

कार्यालय ज्ञाप

निम्नलिखित अवर अभियन्ता(जानपद)(प्रशिक्ष) द्वारा एक वर्ष का आधारभूत क्रियात्मक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त उनकी विशेष कार्य कौशल आख्या संतोषजनक प्राप्त होने पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में अंकित तिथि से उनका नियमितिकरण अवर अभियन्ता(जानपद)(सामान्य क्षेत्री) के पद पर वेतन बैंड-2 में वेतनमान रु 9000-34800 सादृश्य ग्रेप पे रु 4200/- (प्रारम्भिक वेतन रु 9860/-) में किया जाता है तथा उन्हें समय-समय पर अनुमन्य वेतन भत्ते इनके पदभार ग्रहण तिथि से देय होंगे। इनकी प्रशिक्षण अवधि इनकी वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु आगणित की जायेगी।

क्र० सं०	नाम सर्वश्री	पिता का नाम	नियुक्ति का कार्यालय ज्ञाप सं० एवं दिनांक	कार्यभार ग्रहण करने तिथि	विनियमितिकरण तिथि	वर्तमान तैनाती इकाई
1	2	3	4	5	6	7
1	अजय कुमार	सिद्ध गोपाल	1900-अ-2, दि०-04.08.2014	30.08.2014	29.08.2015	वि०जा०पा०खं०, अलीगढ़।
2	सन्दीप कुमार सिसोदिया	राजकुमार सिंह	1897-अ-2, दि०-02.08.2014	22.08.2014	21.08.2015	वि०जा०वि०खं०, गाजियाबाद।
3	मानवेन्द्र सिंह	केशव प्रसाद	626-अ-2, दि०-24.02.2014	13.03.2014	12.03.2015	वि०जा०वि०खं०, गाजियाबाद।

उपरोक्त नियमितिकरण निम्न प्रतिबन्धों के अधीन किया जाता है :-

1. अवर अभियन्ता(जानपद)/(सा०श्रे०) संवर्ग में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।
2. अभ्यर्थी की सेवाये पूर्ववर्ती राज्य विद्युत परिषद अवर अभियन्ता सेवा विनियमावली एवं इस संवर्ग में समय-समय में विनियमावली में हुए संशोधन के द्वारा भी नियंत्रित रहेंगी।
3. अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णरूप से अस्थाई है तथा किसी पूर्व सूचना के एवं बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है।
4. अभ्यर्थी का चरित्र एवं आचरण गृह जनपद के जिलाधिकारी के माध्यम से पुलिस द्वारा सत्यापित कराये जाने पर प्रतिकूल आख्या प्राप्त होने की दशा में तत्काल सेवा से निष्कासित किया जायेगा।
5. अभ्यर्थी की सेवाये उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० एवं अन्य के अर्न्तगत सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश या प्रदेश से बाहर स्थानान्तरणीय है।
6. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना-पत्र, घोषणा-पत्र अथवा अन्य अभिलेखों को यदि भविष्य में किसी भी समय जाँच करने पर गलत पाया गया कि उसने स्वार्थ वश कुछ तथ्य जानबूझकर छिपाये हैं तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।

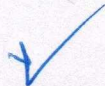
**सत्यानन्द दीक्षित
मुख्य अभियन्ता(हाइड्रिल)**

संख्या-1441-अनु०-प्रथम/अ०अभि०(जा०)/विनियमितिकरण/2017/तददिनांक दिसम्बर 06 ,2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक(का०प्र० एवं प्रशा०) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
2. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पाकालि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक,पूर्वांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/केस्को, कानपुर, विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा/कानपुर।

4. मुख्य अभियन्ता(जानपद) पारेषण-प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० पा०ट्रा०का०लि०, लखनऊ।
5. संबंधित अधिक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० पा०ट्रा०का०लि०, लखनऊ।
6. अधिशाली अभियन्ता(यूनिफाइड), शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेबसाइट पर लोड करने हेतु प्रेषित।
7. कट फाइल


विरेन्द्र कुमार निगम
वैयक्तिक सहायक (पंचम)
कृते मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)